Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan state from the 163-Garhi (ST) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri KAILASH CHANDRA MEENA chandanpura post bori teh garhi diss. banswara sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Banswara

Date: 03.12.2023

(Anju Sharma)
Returning Officer
163-Garhi (ST)
(Anju Sharma)

Returning Officer AC-163 Garhi (ST) (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा |

163-गढ़ी (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजुस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि-

श्री कैलाश चन्द्र मीणा चन्दनपुरा पोस्ट बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा(राज.) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए / की गई है |

उपर्युक्ता निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई है |

स्थान: बांसवाडा

दिनांक: 03.12.2023

रिटर्निंग अधिकारी

163-गढ़ी (अ.ज.जा.)

(Anju Sharma)
Returning Officer

AC-163 Garhi (ST)